

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 फरवरी 2026—माघ 24, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 दिसम्बर 2025

क्रमांक ESTB/102(1)/683/2025-GAD-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 2017 बैच के निम्नांकित अधिकारियों को आवंटन वर्ष से 09 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप, दिनांक 01-01-2026 से सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान Pay Matrix Level-12 में नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में दर्शित पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त

पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री आकाश छिकारा, भा.प्र.से.	उप सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा अति. प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण	संयुक्त सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा अति. प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण.
2.	श्री रोहित व्यास, भा.प्र.से.	कलेक्टर, जिला-जशपुर	कलेक्टर, जिला-जशपुर
3.	श्री मयंक चतुर्वेदी, भा.प्र.से.	कलेक्टर, जिला-रायगढ़	कलेक्टर, जिला-रायगढ़
4.	श्री कुणाल दुदावत, भा.प्र.से.	कलेक्टर, जिला-कोरबा	कलेक्टर, जिला-कोरबा
5.	श्री चंद्रकांत वर्मा, भा.प्र.से.	संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें तथा अति. प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी	संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें तथा अति. प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी

2. उपरोक्त सारणी के सरल क्र. 2 से 5 में उल्लेखित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जाता है कि वे भविष्य में Mid Career Training (Phase-III) कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे.

3. श्री चंद्रकांत वर्मा, भा.प्र.से. (2017) द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 दिसम्बर 2025

क्रमांक ESTB-102(1)/695/2025-GAD-2. — राज्य शासन एतद्वारा श्री मुकेश कुमार बंसल, भा.प्र.से. (2005), को सचिव, वित्त विभाग तथा अति. प्रभार सचिव, वाणिज्यिक कर (आब. एवं पंजी को छोड़कर) विभाग, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, सचिव, विमानन विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्वेष घृतलहरे, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 जनवरी 2026

क्रमांक एफ-1-49/2013/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा डॉ. आनंद छाबड़ा (भापुसे-2001), पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. को दिनांक 05-01-2026 से 09-01-2026 (कुल 05 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही दिनांक 03, 04, 10 एवं 11 जनवरी 2026 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. छाबड़ा (भापुसे), पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
3. अवकाश अवधि में डॉ. छाबड़ा (भापुसे) को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त होते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आनंद छाबड़ा (भापुसे) अवकाश पर प्रस्थान नहीं करते तो वे अपने पद पर यथावत कार्यरत रहते।
5. डॉ. आनंद छाबड़ा (भापुसे-2001), पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री सुजीत कुमार (भापुसे-2010), पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 जनवरी 2026

क्रमांक एफ-7-01/2026/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री धोत्रे सुमितकुमार दत्ताहरिराव, परिविक्षाधीन (भापुसे-2021), वर्तमान नगर पुलिस अधीक्षक, जिला बस्तर, जगदलपुर, छ.ग. को दिनांक 19-01-2026 से 13-02-2026 (कुल 26 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति एवं दिनांक 17, 18 जनवरी 2026 एवं दिनांक 14, 15 फरवरी 2026 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री धोत्रे सुमितकुमार दत्ताहरिराव, परिविक्षाधीन (भापुसे), वर्तमान नगर पुलिस अधीक्षक, जिला बस्तर, जगदलपुर, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
3. अवकाश अवधि में श्री धोत्रे (भापुसे) को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त होते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धोत्रे (भापुसे) अवकाश पर प्रस्थान नहीं करते तो वे अपने पद पर यथावत कार्यरत रहते।
5. श्री धोत्रे सुमितकुमार दत्ताहरिराव, परिविक्षाधीन (भापुसे-2021), वर्तमान नगर पुलिस अधीक्षक, जिला बस्तर जगदलपुर, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार सुश्री गितिका साहू, रापुसे, उप पुलिस अधीक्षक, जिला बस्तर, जगदलपुर, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 जनवरी 2026

क्रमांक एफ-7-02/2017/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री एस.आर.पी. कल्लुरी (भापुसे-1994), अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. को दिनांक 30-03-2026 से 02-04-2026 (कुल 04 दिवस) तक अर्जित अवकाश की स्वीकृति एवं दिनांक 28, 29 मार्च 2026 एवं दिनांक 03, 04 व 05 अप्रैल 2026 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस.आर.पी. कल्लुरी (भापुसे-1994), अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.
3. अवकाश अवधि में श्री कल्लुरी (भापुसे) को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त होते थे.
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कल्लुरी (भापुसे) अवकाश पर प्रस्थान नहीं करते तो वे अपने पद पर यथावत कार्यरत रहते.
5. श्री एस. आर. पी. कल्लुरी (भापुसे-1994), अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री बी. एन. मीणा, (भापुसे-2004), पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. ध्रुवे, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 17 दिसम्बर 2025

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिये)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/15500/202204050400002/03/अ 82/2021-22.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :-

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	हरदीबाजार	मुरली	0.944 हे.	रामपुर मोड़ से डिपरीपारा मुरली मार्ग लंबाई 2.96 कि.मी. निर्माण हेतु अर्जन

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 13-02-2026 को समय 11:00 बजे से स्थान ग्रा. पंचा. मुरली पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

01.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	रामपुर मोड़ से डिपरीपारा मुरली मार्ग लंबाई 2.96 कि.मी. निर्माण हेतु अर्जन.
02.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	16 परिवार
03.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	16 परिवार
04.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
05.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक

06.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
07.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
08.	परियोजना की कुल लागत	—	रुपये 482.85 लाख
09.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आवागमन हेतु बारहमासी सड़क
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 9 जनवरी 2026

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिये)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/573/202201050400044/01/अ 82/2021-22.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	हरदीबाजार	बोईदा	2.206 हे.	बोईदा मुख्य मार्ग से नायकपारा तिलैयापारा फुटहामुड़ा मार्ग लंबाई 2.76 कि.मी. निर्माण हेतु अर्जन

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 12-02-2026 को समय 11:00 बजे से स्थान ग्राम गा. पंचा. बोईदा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

01.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	बोईदा मुख्य मार्ग से नायकपारा तिलैयापारा फुटहामुड़ा मार्ग लंबाई 2.76 कि.मी. निर्माण हेतु अर्जन.
02.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	44 परिवार
03.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	44 परिवार
04.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	16
05.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	01 सार्वजनिक मंच देवस्थान

06.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
07.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
08.	परियोजना की कुल लागत	—	रुपये 506.39 लाख
09.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आवागमन हेतु बारहमासी सड़क
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुणाल दुदावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 15 दिसम्बर 2025

प्र. क्रमांक 06/अ-82/2022-23/4103.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही	मरवाही	धनौरा प.ह.नं.-31	2.327	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड	परासी एनीकट योजना के अंतर्गत डुबान कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मरवाही के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कमलेश मंडावी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-गौरेलो-पेण्ड्रा-मरवाही,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)

(1)

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 15 दिसम्बर 2025

5/1

0.304

प्र. क्रमांक 03/अ-82/2022-23/4107.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-बहुटाडोल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.721 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—परासी एनीकट योजना के डुबान कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मरवाही के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कमलेश मंडावी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

नवा रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2026

क्रमांक/233641/2026/ESTB-1020/15/2025/स्था..— श्री चन्द्र कुमार अजगल्ले, विधिक सलाहकार, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 27-11-2025 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2023 से 31-10-2025 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 324/PS LAW/XXI-B/C.G./24 दिनांक 16-02-2024 के आलोक में प्रदान की जाती है.

मोनिका कावडो,
उप सचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 29 जनवरी 2026

“प्रारूप-घ”

(नियम-6 देखिये)

राजस्व प्रकरण क्रमांक 192/202508042100027/बी-121/2024-25.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक-1212, रायगढ़ दिनांक 29-08-2025 जारी पश्चात् को अधिसूचना क्र. 36, भाग-1, पृ.क्र. 622-23, दिनांक 05-09-2025 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि के लिये जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक-5 सितंबर 2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

ग्राम-तुपकधार, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	तुपकधार प.ह.नं.-24	20/1	0.130
			19/2	0.056
			20/2	0.090
			305	0.091
			123/1	0.405
			123/2	0.104
			129	0.295
			108	0.036
			130/2, 133	0.231
			102	0.146
			101	0.061

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			107/1, 107/2	0.150
			107/3	0.012
			103	0.008
		योग	16	1.815

रायगढ़, दिनांक 29 जनवरी 2026

“प्रारूप-घ”
(नियम-6 देखिये)

राजस्व प्रकरण क्रमांक 195/202508042100022/बी-121/2024-25.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक-1216, रायगढ़ दिनांक 29-08-2025 जारी पश्चात् को अधिसूचना क्र. 36, भाग-1, पृ.क्र. 619, दिनांक 05-09-2025 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि के लिये जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक-5 सितंबर 2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची
ग्राम-छोटेभंडार, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	छोटेभंडार	190/4	0.045
		प.ह.नं.-25	292/5	0.126
			190/2	0.078

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			192/5	0.227
			192/3	0.043
			192/8	0.090
			192/10	0.288
			192/2	0.054
			292/1	0.019
			192/4	0.084
			292/7	0.085
			292/2	0.095
			293/1	0.016
			293/2ख	0.086
			294	0.091
			302	0.006
			303/2	0.061
			303/1	0.030
			303/3	0.086
			303/5	0.060
			303/4	0.032
			305/1	0.004
			305/2	0.061
			289/7, 289/8, 289/9	0.040
			289/3, 289/4	0.090
			289/5, 289/6	0.165
		योग	30	2.062

रायगढ़, दिनांक 29 जनवरी 2026

“प्रारूप-घ”
(नियम-6 देखिये)

राजस्व प्रकरण क्रमांक 198/202508042100021/बी-121/2024-25.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक-1213, रायगढ़ दिनांक 29-08-2025 जारी पश्चात् को अधिसूचना क्र. 36, भाग-1, पृ.क्र. 617-18, दिनांक 05-09-2025 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि के लिये जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक-5 सितंबर 2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची
ग्राम-दरीपाली, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	दरीपाली प.ह.नं.-32	402	0.360
			401	0.040
			400/2	0.004
			164	0.060
			161	0.047
			403/1	0.030
			403/2	0.030
			404/2	0.240
			419/1	0.050
			440	0.178
			435/2ख	0.034
			435/2ग	0.034
			159	0.016
			435/2क	0.068
			436	0.051
			437	0.051
			439	0.032
			171	0.040
			170/1	0.081
			170/2	0.024
			438/1	0.145
			438/2	0.020
			172	0.084
			447	0.085
			448	0.061
			446	0.020
			173/3	0.018
			169	0.075
			167	0.145

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			165	0.045
			142	0.138
			163	0.034
			160	0.069
			154/1	0.012
			153/1	0.165
			150	0.185
			141/1	0.108
			141/2	0.020
			140	0.108
			130	0.028
			131	0.061
			129	0.060
			126	0.016
			132	0.154
			125	0.150
			124/1 क	0.028
			121/1 क	0.028
			121/1 ख	0.057
			119/2 ख	0.087
		योग	49	3.676

रायगढ़, दिनांक 29 जनवरी 2026

“प्रारूप-घ”
(नियम-6 देखिये)

राजस्व प्रकरण क्रमांक 207/202510042100008/बी-121/2024-25. —राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक-1507, रायगढ़ दिनांक 10-10-2025 जारी पश्चात् को अधिसूचना क्र. 43, भाग-1, पृ.क्र. 1163, दिनांक 24-10-2025 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि के लिये जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक-24 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची
ग्राम-केशापाली, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	केशापाली/ प.ह.नं. 34	1/2	0.405
			1/1	0.102
			2/1	0.094
			4/5, 4/3	0.095
			4/4	0.081
			4/2	0.099
			4/10	0.065
			22/4	0.008
			22/3	0.008
			4/8	0.109
			4/11, 22/5	0.026
			4/9	0.095
			21/2	0.080
			8/4	0.030
			8/5	0.121
			8/6	0.018
			10	0.238
			11/3	0.084
			11/4	0.121
			12	0.286
			22/2	0.024
			3	0.020
योग			23	2.209

रायगढ़, दिनांक 29 जनवरी 2026

“प्रारूप-घ”
(नियम-6 देखिये)

राजस्व प्रकरण क्रमांक 208/202508042100031/बी-121/2024-25. —राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक-1217, रायगढ़ दिनांक 29-08-2025 जारी पश्चात् को अधिसूचना क्र. 36, भाग-1, पृ.क्र. 624-25, दिनांक 05-09-2025 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि के लिये जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक-5 सितंबर 2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची
ग्राम-रनभांठा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	रनभांठा प.ह.नं.-24	67/1	0.016
			67/2	0.016
			67/3	0.016
			67/4	0.016
			68/1	0.065
			68/2	0.061
			66	0.045
			60	0.048
			61	0.064
			62	0.016
			69	0.089
			59	0.040
			65/1	0.040

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			65/4	0.040
			63	0.036
			64	0.053
			53	0.345
		योग	17	1.006

महेश शर्मा
सक्षम प्राधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 12th September 2025

No. 1077/Confdl./2025/II-2-72/2001 (Part-VII).—In compliance with the Judgement dated 23-04-2025 passed by Hon'ble the Supreme Court of India in C.A. No. of 2025 (D. No. 23536 of 2020) (Pawan Kumar Agrawal & Anr. Vs. State of Chhattisgarh & Ors.), the seniority of Shri Pawan Kumar Agrawal and Shri Pankaj Dixit, Members of Higher Judicial Service and presently posted as District and Additional Sessions Judge, F.T.S.C. (POCSO) Saraipali and IX District and Additional Sessions Judge, Durg respectively, is hereby, fixed, in that order below the name of Shri Pankaj Alok Turkey, II District and Additional Sessions Judge, Saraipali and above the name of Shri Amit Jindal, II District and Additional Sessions Judge, Rajnandgaon (for exclusive Labour Court Cases) in the gradation list of District Judge (Entry level), on notional basis.

Bilaspur, the 12th September 2025

No. 18405/Checker/III-6-1/2007 (Pt. I).—In exercise of the powers conferred under sub section (3) of Section 9 read with Section 26 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court of Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon the following Judicial Magistrate Second Class :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate Second Class (2)	Present place of Posting (3)	Present Civil District (4)
1.	Ku. Puneet Sameeksha Xalxo, J.M.S.C. Raigarh	Raigarh	Raigarh
2.	Ku. Varsha Gurde, J.M.S.C. Kawardha	Kawardha	Kabirdham (Kawardha)

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Registrar General.